(1)	(2)	(3)
49	श्री लालचंद यादव सदस्य	
50	" सुभाषचंद्र करमानिया - एल्डरमेन	Supanchand 28/1/16
51	" गुरविंदर घई "	
52	" नरेश गोयल "	
53	" अफरोज डायमंड "	
54	" निलेश सोनी "	
55	" मनोज शर्मा "	
56	" सुभाष पाण्डेय - सांसद प्रतिनिधि	
57	" महावीर चौहान विधायक प्रतिनिधि	
58	सचिव	

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
1	रायगढ़ शहर के विभिन्न वार्डों में जहाँ बरसात के समय में पानी भर जाता है उन स्थानों पर नाला निर्माण पर विचार।	① प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत। जिन वार्डों में नाला निर्माण की आवश्यकता है उन वार्डों के पार्षदों से संपर्क कर नाला का प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजी जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य हेतु एक माह का निर्धारित समयावधि दी जाती है। तदनुसार प्रस्ताव शासन को भेजें। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत इस कार्य हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है।
2	शहर के नालों का सौंदर्यीकरण एवं बेजा कब्जा मुक्त करवाने एवं शहर में बढ़ते अतिक्रमण ~~करने~~ को हटाने पर विचार।	

3	नगर पालिक निगम में शामिल 12 गांव के 08 वार्डों सहित अन्य वार्डों में श्मशान घाट निर्माण पर विचार।	जो निम्नानुसार हैं :- ① श्री दिनेश शर्मा - MIC सदस्य लोक निर्माण समिति। ② श्री अरुण देवांगन - पार्षद वार्ड नं. (40)
4	नगर पालिक निगम रायगढ़ के 48 वार्डों को 05 जोन में विभाजित कर शहर वासियों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कार्य योजना बनाने हेतु विचार।	③ कु. अमजदा बानो - पार्षद वार्ड नं. (10) ④ श्री संदीप क्षत्रीय - पार्षद वार्ड नं. (25) ⑤ श्री रत्थू राम जायसवाल - पार्षद वार्ड नं. (32) ⑥ कु. प्रभा टोप्पो - उप अभियंता न.पा.नि. रायगढ़।
5	म.आई.सी. के प्रस्ताव क्र. 14 दि. 16.10.15 में लिये गये निर्णय अनुसार रायगढ़ शहर के 48 वार्डों में शासन के योजनान्तर्गत डोर टू डोर कचरा उठाने के संबंध में विचार।	(३) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। बाघ तालाब व छिपरापुर से कोतरा रोड वार्ड पास मार्ग पर स्थित दो तालाबों पर के अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लेते हुए तालाबों का
6	कांग्रेस पार्षदों के पत्र के आधार पर शहर के आवारा कुत्तों के लिये डाग हाउस निर्माण के संबंध में विचार।	सौंदर्यीकरण सरोवर धरोहर योजनान्तर्गत संबंधित वार्डों के पार्षदों से संपर्क कर प्राक्कलन / योजना तैयार कर शासन को भेजी जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य हेतु एक माह का निर्धारित समयावधि दी जाती है।
7	जेल फार्म हाउस से बड़े रामपुर मुख्य मार्ग तक सड़क, नाली, बिजली एवं पाइप लाइन बिछाकर एवं निर्माण प्राक्कलन तैयार कर परिषद में रखने हेतु विचार	तदनुसार प्रस्ताव शासन को भेजें। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत इस कार्य हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है। जो निम्नानुसार हैं :-
8	रामलीला समिति को अनुदान राशि देने के संबंध में विचार।	① श्री पीनू राव - पार्षद वार्ड नं. 39 ② श्रीमती कविता मिश्रा - पार्षद वार्ड नं. (21) ③ श्री कमल पटेल पार्षद वार्ड नं. (09) ④ श्रीमती जानकी काटजू - पार्षद वार्ड नं. (04) ⑤ श्रीमती त्रिवेणी डहरे - पार्षद वार्ड नं. (24) ⑥ श्रीमती तारा टेहवार - पार्षद वार्ड नं. (5) ⑦ श्री एस.एन. भदरिया - प्र. सहायक अभियंता

9	यादव समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित मड़ई महोत्सव कार्यक्रम को अनुदान राशी देने के संबंध में विचार।	(3) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। नगर पालिक निगम में शामिल [illegible] के 48 वार्डों में शमशान घाट निर्माण हेतु मुक्तिधाम योजनान्तर्गत संबंधित पार्षदों से संपर्क कर प्राक्कलन तैयार कर शासन को भेजी जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य हेतु एक माह का निर्धारित समयावधि दी जाती है। तदनुसार प्रस्ताव शासन को भेजें। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 48 के अंतर्गत इस कार्य हेतु निम्नानुसार समिति का गठन की जाती है जो निम्नानुसार है — (1) श्री प्रदीप विजयचंद्र टोप्पो - पार्षद वार्ड नं. ([illegible]) (2) श्री गुरुचरण भट्ट - पार्षद वार्ड नं. (38) (3) श्री डिग्री लाल साहू - पार्षद वार्ड नं. (6) (4) श्री दीपक एक्का - पार्षद वार्ड नं. (47) (5) सुश्री ममता आदित्य - पार्षद वार्ड नं. (44) (6) कु. योगिता पटेल - उप अभियंता नगर पालिक निगम रायगढ़
10	छ.ग. शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 2011 दिनांक 18.1.2012 के पालन में अनुमोदित अभिन्यासों की भूमि तथा सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि दर्ज किया जाना था - तदानुसार रायगढ़ नगर की 12 नंबर कालोनियों की 827919 वर्गफीट भूमि का पंजीयन कराये जाने पर विचार।	
11	जल आवर्धन योजना के चालू होने से विभिन्न स्थानों पर खोदे गये ट्यूबवेल के स्थान पर हैंडपंप लगाने हेतु एवं निकाले गये मोटर पंप के रख रखाव पर विचार।	
12	जल आवर्धन योजनान्तर्गत बिछाये गये पाइपलाइन के साथ उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन जोड़ने पर विचार।	(04) प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत। शासन के निर्देश एवं नियमानुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ में 48 वार्डों को जोन में विभाजित करें एवं प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करें।
13	संपादक, जवाहर बस्ती में गली जाने हेतु विचार।	

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

14	साधारण सम्मेलन की बैठक दिनांक 26.3.2010 के प्रस्ताव क्र. 05 से राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि वितरण हेतु महापौर एवं आयुक्त महो. को पात्र/अपात्र हितग्राहियों का चयन एवं राशि भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है जिसके परिपालन में माह फरवरी 14 से माह जुलाई 15 तक कुल प्राप्त 187 आवेदन पत्रों में 23 अपात्र एवं 164 पात्र हितग्राहियों का चयन कर पात्र 164 हितग्राहियों को सहायता राशि [illegible] ([illegible]) भुगतान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	
15	[illegible] के प्रस्ताव क्र. 03 दि. 9.12.15 पर अनुकम्पा नियुक्ति [illegible] को प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार।	
16	[illegible] आवर्धन जलप्रदाय योजना लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायगढ़ द्वारा राशि रु 404.00 लाख (चार सौ चार लाख) की पुनरीक्षित [illegible] को [illegible] प्रस्ताव क्र. 4 दिनांक [illegible] को लिये गये निर्णय अनुसार स्वीकृति पर विचार।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकृत।

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

(1)	(2)	(3)
17	राज्य प्रवर्तित गौरवपथ योजनान्तर्गत सर्किट हाऊस से उड़ना तक सड़क नाली, फुटपाथ एवं डिवाइडर निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि रु 2159.40 लाख (इक्कीस करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार) मात्र MIC प्रस्ताव क्र. 05 में लिये गए निर्णय अनुसार स्वीकृति हेतु विचार	
18	जोनल कार्यों की निविदा स्वीकृत की गई थी स्वीकृत कार्यों की विस्तृत जानकारी तथा उसमें से कितने कार्य हुए तथा कितने शेष कार्य कब तक होंगे।	
19	विभिन्न साइजों के 277 कन्टेनर क्रय किये जाने संबंधित विस्तृत जानकारी एवं उनका भौतिक सत्यापन पर विचार।	
20	नगर में वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन होता रहता है। वार्डों का नंबर एवं नाम भी बदलता रहता है ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रक्रिया अनुसार घरों के नम्बर बदल जाते हैं जिससे विषम स्थिति पैदा होती है। घरों का स्थायी नंबर देने हेतु विचार।	
21	कुछ पुराने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया गया है उनको पुनः नियुक्त किये जाने हेतु विचार।	
22	संजय काम्पलेक्स में पूर्व स्वीकृत योजना अनुसार पसरे निर्माण हेतु विचार।	

23. सोनालिंक कलवारी बाजार में पक्का निर्माण हेतु विचार।

24. आगामी गर्मी में पेयजल की सुचारु पूर्ति की तैयारी हेतु विचार।

25. मान. उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार शहर के म्युनिसिपल स्कूल, नटवर स्कूल, डिग्री कालेज खेल मैदान का व्यवसायिक उपयोग रोकने के संबंध में विचार।

26. प्लेसमेंट कर्मचारियों के संबंध में विचार एवं निर्णय।

27. वार्डों के विकास कार्य के प्राक्कलन की स्वीकृति पर रोक लगाने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही हेतु शासन को अनुशंसा कर प्रेषित

28. केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड को बढ़े रामपुर खिड़ रोड शासकीय भूमि पर न्यू बस स्टैंड बनने पर विचार

29. कमला नेहरु उद्यान में हो रहे अवैध निर्माण को रोके जाने एवं प्रकरण को परिषद एजेंडा बनाने बाबत विचार।